BT cell 05/05/16

पत्रांक–11/विविध–02–02/2016.......... दिनांक..............

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
आदेश

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, डिहरी परिक्षेत्राधीन सोन उच्च स्तरीय नहर प्रमंडल, भभुआ अन्तर्गत सुअरा दायीं नहर के जीर्णोद्धार कार्य से संबंधित एकरारनामा संख्या–01/एस.बी.डी./2014–15 दिनांक 01.07.2014 कमलादित्य कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0, बोकारो स्टील सिटी, बोकारो से किया गया था। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि 30.06.2015 थी। कालांतर में विभागीय पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान कार्य की प्रगति काफी धीमी (मात्र 32.99%) पाये जाने एवं बार–बार विभागीय पदाधिकारियों द्वारा निर्देश दिये जाने के बाबजूद कार्य की प्रगति में संवेदक द्वारा कोई सुधार नहीं किया गया। परिणामस्वरूप कार्यपालक अभियंता, सोन उच्च स्तरीय नहर प्रमंडल, भभुआ के आदेश ज्ञापांक–255, दिनांक 15.02.16 द्वारा कार्य एकरारनामा संख्या–01/एस.बी.डी./2014–15 दिनांक 01.07.2014 को विखंडित (Rescind) कर दिया गया। जिसके विरूद्व संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–4086/2016 कमलादित्य कन्स0 प्रा0 लि0 बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.03.16 को पारित न्याय निर्णय में इसे खारिज करते हुये एकरारनामा विखंडन से संबंधित आदेश ज्ञापांक–255, दिनांक 15.02.16 को यथावत रखा गया। मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, डिहरी के पत्रांक–964, दिनांक 11.4.2016 से संवेदक को कालीसूची में डाले जाने हेतु प्रस्ताव अनुशंसा सहित प्राप्त हुआ।

संवेदक का उपर्युक्त कृत बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली– 2007 के नियम– 11(क)(II) में प्रावधानित कदाचार यथा एकरारनामा एवं विहित विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चुक मानते हुए मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, डिहरी से प्राप्त उक्त अनुशंसा के आलोक में संवेदक के निबंधन को कालीसूची में डाले जाने हेतु विभागीय पत्रांक–2159, दिनांक 12.04.16 के द्वारा कारण पृच्छा किया गया। उसके प्रत्यूतर में संवेदक द्वारा पत्र प्राप्ति के पश्चात् अपने बचाव में कुछ नही कहा गया और अपने पत्रांक KCPL/APRL 16/02 दिनांक 26.04.16 में कहा गया कि उन्हे कारण पृच्छा का पत्र दिनांक 20.04.16 को प्राप्त हुआ है और उन्हें कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु पन्द्रह दिनों का समय दिया जाय। संवेदक को कारण पृच्छा देने हेतु पर्याप्त समय मिलने के बावजूद उनके द्वारा अपने बचाव में कुछ नहीं कहा गया। इससे प्रतीत होता है कि संवेदक कारण पृच्छा का जबाव नहीं देना चाहते हैं। फलस्वरूप अभिलेखों के आधार पर मामले की एकपक्षीय समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि संवेदक द्वारा एकरारनामा के शर्तो एवं विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देश के बावजूद कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं लाई गई एवं ससमय कार्य पूरा करने में अभिरूचि नहीं ली गई है। इस प्रकार संवेदक का यह कृत बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली–2007 के नियम 11(क)(II) प्रावधानित कदाचार की श्रेणी में प्रमाणित मानते हुए कमलादित्य कन्स0 प्रा0 लि0, प्लॉट नं0–201, कॉपरेटिव कॉलोनी, बोकारो स्टील सिटी, बोकारो (झारखंड)–827001 के निबंधन संख्या–11/2011 को विभागीय आदेश ज्ञापांक–201, दिनांक 14.3.2016 के आलोक में 10 वर्षों के लिए कालीसूची में डाला जाता है।

ह0/–
(रामपुकार रंजन)
अभियंता प्रमुख (द0)
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक–..... पटना, दिनांक.....

स्पीड पोस्ट/
निबंधित

प्रतिलिपि– कमलादित्य कन्स0 प्रा0 लि0, निदेशक – श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, प्लॉट नं0–201, कॉपरेटिव कॉलोनी, बोकारो स्टील सिटी, बोकारो (झारखंड)–827001 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(रामपुकार रंजन)
अभियंता प्रमुख (द0)
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक– 2486 पटना, दिनांक– 5.5.2016

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/भवन निर्माण विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनि0 अंचल–2, 3 एवं 4/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल/निदेशक क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के अधीन/आई0टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

05/05/16
(रामपुकार रंजन)
अभियंता प्रमुख (द0)
जल संसाधन विभाग।